राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड

सफलता की कहानी

अतिक्रमी ने समझाईश के बाद छोड़ा कब्जा

झालावाड़ 26 जून/राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" में शुक्रवार को ग्राम पंचायत टोडरी जगन्नाथ में एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें प्रार्थीगण रोड़या, सरया, नेन्दा, पिसरान, किशना के खाते की भूमि ख.नं. 653 की 0.18 बीघा पर बल प्रयोग से रोडूलाल पिता जज्जू निवासी टोडरी जगन्नाथ के द्वारा कई वर्षों से जबरन कब्जा कर रखा था और प्रार्थीगणों को गांव से भगा दिया गया था।

जब यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी धीरेन्द्र व्यास की अदालत में आया तो उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत दर्ज कर अतिक्रमी (अप्रार्थी) को तलब किया तथा समझौता समिति के सदस्य भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी को मौके पर भिजवाया गया । उन्होंने भूमि का मौका देखा एवं आस पडौस के ग्रामीणों से जानकारी ली तो यह पाया गया कि वास्तव में प्रार्थीगण की भूमि पर रोडूलाल पिता जज्जू द्वारा नाजायज रूप से बल प्रयोग कर कब्जा कर रखा है। इस पर अतिक्रमी को समझौता समिति के सदस्यों पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा समझाने पर अतिक्रमी ने स्वैच्छा से कब्जा छोड़ दिया।

पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक व समझौता समिति के सदस्यों द्वारा मौके पर ही भूमि का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को भूमि पर कब्जा संभलाया गया। इस निर्णय से प्रार्थीगणों के चेहरे प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे। ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी (अतिक्रमी) ने एक दूसरे को गले लगाकर आपसी मनमुटाव को समाप्त कर पारिवारिक सदस्यों की तरह रहना स्वीकार किया। प्रार्थीगणो ने केम्प में शीघ्रता से न्याय मिलने पर कहा कि हमें तो उम्मीद ही नही थी की हमें हमारी जमीन पर फिर कब्जा मिल जायेगा। लेकिन इस कैम्प में इतनी शीघ्रता से हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवायी कर जो निर्णय हुआ वह काबिले तारीफ है। प्रार्थीगणों ने इस निर्णय पर राज्य सरकार एवं उपखण्ड अधिकारी, समझौता समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया।

पूरा को मिला 10 साल बाद अपनी जमीन का कब्जा

झालावाड़ 26 जून/ग्राम पंचायत डग में आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" में 25 जून को पेश हुए एक प्रकरण मे प्रार्थी पूरा पिता रूघा जाति नायक की ख.नं. 370 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गिरधरपुरा की भूमि पर गोवर्धन सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत का कब्जा पिछले 10 वर्षो से चला आ रहा था। इस मामले में प्रार्थी ने अपनी भूमि पर कब्जा वापस दिलाने हेतु उपखण्ड अधिकारी को आवेदन पेश किया ।

गंगधार के उपखण्ड अधिकारी चन्दन दुबे ने आवेदन पत्र पर कैम्प में ही धारा 183 बी के तहत कार्यवाही करते हुए पटवारी व नायब तहसीलदार डग को मौके पर भेजा और जिस व्यक्ति का कब्जा चला आ रहा था उसे समझाया गया तथा उसे उसकी सीमाओं का ज्ञान कराया गया। समझाईश से बात बनने पर गोवर्धन सिंह पुत्र रतन सिंह अपना कब्जा छोडने के लिए तैयार हो गया तो हाथो-हाथ मौके पर ही प्रार्थी पूरा को कब्जा सम्भला दिया गया।

प्रार्थी को जब 10 साल बाद अपनी जमीन का कब्जा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई अपार खुशियां मिल गयी हो।

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

न्याय आपके द्वार शिविरों में एक हजार से अधिक मामलों का निस्तारण

झालावाड़ 26 जून/ राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार " अभियान के तहत गुरूवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 1 हजार 162 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जिले की ग्राम पंचायत देवरी, चन्दीरपुर, डग एवं बरेड़ा में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में राजस्व अधिकारियों द्वारा 25 जून को नामान्तकरण के 303 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा खाता दुरस्ती के 351, खाता विभाजन के 60, राजस्व नकल के 217, इजराय के 20, पत्थरगढी के 5 प्रकरणों सहित स्थायी निषेधाज्ञा, धारा 251, टी.आई (स्थगन), धारा 86, 183(ए), आर.टी.एक्ट सहित अन्य 206 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

स्थाई समितियों के चुनाव 1 जुलाई को

झालावाड़ 26 जून/जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को जिला परिषद कार्यालय में प्रशासन एवं स्थापना समिति, वित एवं कराधान, विकास और उत्पादन, शिक्षा सामाजिक सेवाएं एवं समाज कल्याण, ग्रामीण विकास समितियों के चुनाव होगें। इन समितियों के चुनाव में समस्त जिला परिषद सदस्यगण मतदान करेगें।